स्वच्छता अभियान “स्वच्छता ही सेवा” (11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019)

माननीय सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली के डी.ओ.पत्र क्रमांक Secy,(DARE)&DG(ICAR)2019/721 दिनांक 31.07.2019 एवं भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के डी.ओ.पत्र 2/2/S(DWS)/19 दिनांक 31.08.2019 तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के “स्वच्छ भारत” आद्रान के तहत “स्वच्छता ही सेवा” में विभिन्न कार्यक्रमों/प्रारंभिक हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/प्रारंभिक हेतु प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु परिदृश्य के द्वारा दिशा-निर्देशों दिए गए हैं। उपर्युक्त की अनुपालना हेतु केन्द्र में “स्वच्छता अभियान” के तहत दिनांक 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019 तक ‘स्वच्छता ही सेवा 2019’ के दौरान विभिन्न कार्यक्रम/प्रारंभिक हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/प्रारंभिक हेतु प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु परिदृश्य के द्वारा दिशा-निर्देशों दिए गए हैं।

केन्द्र के मिल्क पार्लर व मुख्य गेट के पास, साफ-सफाई कार्य: 24.09.2019

‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में भाकृ.अनुप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कम्पबनरियों द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2019 को केन्द्र के मिल्क पार्लर व मुख्य गेट के पास जमा कुरा-करकट, अनावश्यक वस्तुओं, को हटाते हुए इन्हें गाड़ी ट्रॉली में भर कर उपयोग स्थलों एवं खरपतवार आदि को कम्पोस्ट तैयार करने के लिए गड्डों में डलवाया गया।